राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक एफ 165(07)पंरावि/एसएफसी/षष्ठम/दिशा–निर्देश/2021–22/100 जयपुर, दिनांकः–25.01.2022

मुख्य कार्यकारी अधिकारी/
अति.मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद, समस्त।
विकास अधिकारी,
पंचायत समिति, समस्त।

विषयः– षष्ठम राज्य वित्त आयोग, राजस्थान द्वारा प्रस्तुत अन्तरिम रिपोर्ट (2020–21 एवं 2021–22 के लिए) के अन्तर्गत की गई सिफारिशों पर राज्य सरकार द्वारा की गई कार्यवाही विवरण (ATR) के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं को देय अनुदान के उपयोग हेतु दिशा–निर्देश।

षष्ठम राज्य वित्त आयोग, राजस्थान द्वारा प्रस्तुत अन्तरिम रिपोर्ट (2020–21 एवं 2021–22 के लिए) के अन्तर्गत की गई सिफारिशों पर राज्य सरकार द्वारा की गई कार्यवाही विवरण (ATR) के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं को देय कुल अनुदान राशि में से 55 प्रतिशत राशि मूलभूत एवं विकास कार्यों के लिए, 40 प्रतिशत राशि राष्ट्रीय/राज्य प्राथमिकता की योजनाओं/गतिविधियों के कियान्वयन, जिनमें कोविड–19 की रोकथाम से संबंधित गतिविधियां भी शामिल है तथा 5 प्रतिशत राशि पंचायती राज संस्थाओं के लिए चिन्हित गतिविधियों में प्रदर्शन के बदले प्रोत्साहन अनुदान के रूप में उपलब्ध करायी जावेगी।

आयोग द्वारा प्रस्तुत अन्तरिम रिपोर्ट (2020–21 एवं 2021–22 के लिए) के अन्तर्गत की गई सिफारिशों पर राज्य सरकार द्वारा की गई कार्यवाही विवरण (ATR) के बिन्दु संख्या 3 के उप बिन्दु 1 एवं 2 के अनुसार राज्य के स्वयं के शुद्ध कर राजस्व के 6.75 प्रतिशत हिस्से का वितरण वर्ष 2011 की जनगणना रिपोर्ट के आधार पर पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरीय स्थानीय निकायों के मध्य 75.1 एवं 24.9 प्रतिशत के अनुपात में किये जाने एवं राशि का वितरण जिलेवार निर्धारित भारांकन के आधार पर राज्य की जिला परिषदों को 5 प्रतिशत, पंचायत समितियों को 20 प्रतिशत एवं ग्राम पंचायतों को 75 प्रतिशत हिस्सा राशि दिये जाने की संस्तुति की गई है।

संस्तुति अनुसार राज्य के शुद्ध कर राजस्व में से पंचायती राज संस्थाओं को उपलब्ध कराई गई राशि के उपयोग हेतु निम्नानुसार दिशा निर्देश जारी किये जाते हैः–

Scanned with CamScanner

(अ) मूलभूत एवं विकास कार्यों के लिए हस्तांतरित की जाने वाली 55 प्रतिशत राशि के उपयोग हेतु दिशा–निर्देश :–

1. राज्य वित्त आयोग के तहत पंचायती राज संस्थाओं को प्राप्त होने वाली अनुदान राशि के प्रथम चार्ज के रूप में ग्रामीण क्षेत्रों में पेजयल व्यवस्था बाबत् जनता जल योजना के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष व्यय (केवल विद्युत व्यय, रखरखाव, पुर्नस्थापना आदि) पर वहन किया जाना है।
2. सफाई एवं कूड़े का व्ययन ग्राम पंचायतों द्वारा प्राथमिकता से नियमित आधार पर निष्पादित किया जाना अनिवार्य होगा।
3. पंचायती राज संस्थाएं राज्य वित्त आयोग षष्ठम के अन्तर्गत उपलब्ध कराई जा रही राशि से आधारभूत नागरिक सेवाओं के सृजन, संवर्धन एवं रखरखाव से संबंधित निम्नांकित कार्य संपादित कर सकेंगी:–
   I. स्वच्छता (जिसमें सार्वजनिक शौचालयों, मूत्रालयों का निर्माण/रख–रखाव शामिल है) एवं नियमित रूप से सफाई की व्यवस्था की जावें।
   II. ठोस कचरा प्रबंधन से संबंधित कार्य।
   III. गलियों एवं सड़को पर प्रकाश व्यवस्था।
   IV. ग्राम पंचायत की गलियों और सड़कों की दैनिक आधार पर सफाई व्यवस्था।
   V. पार्कों, खेल के मैदान की चारदिवारी एवं फुटपाथ निर्माण, श्मशान/कब्रिस्तान की चारदिवारी का निर्माण एवं रख–ररखाव।
   VI. पंचायती राज संस्थाओं जिला परिषद, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायतों के अधीन चारागाह की भूमि पर चार–दिवारी निर्माण कार्य अनुमत होगे।
   VII. सामुदायिक केन्द्रों का निर्माण एवं रख–रखाव कार्य अनुमत होगें, जिनमें पुस्तकालय, एवं वाचनालयों का निर्माण सम्मिलित होगा, जिनमें आवश्यकतानुसार फर्नीचर यथा कुसी, टेबल इत्यादि की व्यवस्था की जा सकेगी, साथ ही जल टेंको का निर्माण, रख–रखाव एवं पेयजल आपूर्ति के कार्य अनुमत होगें।
   VIII. सामुदायिक केन्द्रों का निर्माण को उपयोगी बनाने हेतु इन्डोर गैम यथा शतरंज, बास्केटबॉल, कैरम बोर्ड, बैडमिंटन इत्यादि के आयोजन हेतु खेल–कूद सामग्री की व्यवस्था की जा सकेगी।
   IX. पेयजल आपूर्ति।
   X. पेयजल टंकियों का निर्माण एवं रख–रखाव।
   XI. स्वच्छता एवं जल संरक्षण के उद्देश्य से आन्तरिक सड़कों, सीमेंट कांकरीट रोड़ (सी.सी. प्री–कॉस्ट, इंटरलॉकिंग ब्लॉक, पत्थर/ईट खरंजा सहित) मय नाली निर्माण साथ ही फुटपाथ के कार्य अनुमत होंगे। *इन कार्यों पर योजनांतर्गत उपलब्ध कराई गई राशि की अधिकतम 60 प्रतिशत सीमा तक राशि खर्च की जा सकेगी।*
   XII. पंचायती राज संस्थाओं के कार्यों में एकीकृत राज ई–पंचायत सॉफ्टवेयर के पूर्णतः कियान्वयन के कम में इंटरनेट सुविधा प्राप्त करने हेतु एक बारीय लागत एवं उस पर आर्वती व्यय।
   XIII. पंचायती राज संस्थाओं यथा ग्राम पंचायतों में 05 वर्ष या उससे अधिक पुराने कम्प्यूटरों के स्थान पर नये कम्प्यूटरों का कय किये जाने हेतु एक बारीय लागत एवं उस पर

Scanned with CamScanner

आवर्ती व्यय संबंधित ग्राम पंचायतों की निजी आय अथवा अनुदान राशि से जिला परिषद के माध्यम से किया जा सकेगा।

XIV. ऑडिट फीस का भुगतान।

XV. बस अड्डों पर टिनशेड एवं जनसुविधाओं की व्यवस्था, प्याऊ एवं सार्वजनिक सम्पत्तियों का रख–रखाव।

XVI. पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित जन प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण।

XVII. जिला प्रमुखों/प्रधानों एवं सरपंचों के मानदेय एवं भत्तों तथा पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को देय भत्तों का भुगतान वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित दरों से इस मद अन्तर्गत प्राप्त राशि से किया जावेगा।

XVIII. पंचायती राज संस्थाओं में शिवरों/अभियानों के लिए ग्राम पंचायत पर राशि रू. 1.00 लाख, पंचायत समिति पर राशि रू. 2.00 लाख और जिला परिषद पर राशि रू. 3.00 लाख की सीमा तक प्रतिवर्ष व्यय की जा सकेगी।

XIX. पंचायती राज संस्थाओं की निजी आय बढाने हेतु जिला परिषद, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत के मुख्यालय पर दुकानों का निर्माण एवं रख–रखाव कार्य अनुमत होगें।

XX. षष्ठम राज्य वित्त आयोग, राजस्थान द्वारा प्रस्तुत अन्तरिम रिपोर्ट (वर्ष 2020–21 एवं 2021–22 के लिए) वर्ष 2021–22 के अन्तर्गत की गई सिफारिशों के बिन्दु संख्या–27 के अनुसार ग्राम पंचायतो में कार्यरत ग्राम पंचायत सहायकों को समय–समय पर निर्धारित देय मानदेय राशि के पारिश्रमिक का संदाय पदेन प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी द्वारा कार्य संतोषजनक होने एवं मासिक उपस्थिति के प्रमाणीकरण के आधार पर प्रत्येक माह की 10 तारीख तक ग्राम पंचायतों द्वारा भुगतान किया जाएगा।

XXI. पंचायती राज संस्थाओं के अधीन राजकीय विद्यालयों में शौचालयों का रखरखाव।

XXII. पंचायती राज संस्थाओं के अधीन राजकीय विद्यालयों में कक्षा–कक्षों का निर्माण/रखरखाव/उन्नयन।

XXIII. पंचायती राज संस्थाओं के अधीन विद्यमान भवनों का अनुरक्षण/उन्नयनय नवीन ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों के भवनों का संनिर्माण, विद्यालयों, आंगनबाड़ियों इत्यादि में शौचालयों का संनिर्माण चारदीवारी स्थानीय आवश्कताओं के अनुसार किया जावेगा।

(ब) राष्ट्रीय और राज्य प्राथमिकता स्कीमों के लिए हस्तांतरित की जाने वाली 40 प्रतिशत राशि का उपयोग निम्नलिखित में से किसी भी क्रियाकलाप के लिए उपयोग में लिया जा सकता है :–

1. कोविड–19 के प्रसार को नियत्रिंत करने के लिए उपाय।
2. सूचना प्रौद्योगिकी/ई–गवर्नेन्स /डाटाबेस का उपयोग।
3. पेयजल, जनता जल योजना/आर.ओ. प्रणाली।
4. राजीव गांधी जल संचय योजना के अन्तर्गत सम्पादित कराये जाने वाले कार्यों एवं जल संरक्षण संबंधी कार्यों पर प्रथम चार्ज के रूप में ही राशि व्यय किया जा सकेगा/वृक्षारोपण।
5. स्वच्छ भारत अभियान/विद्यालय स्वच्छता/ओ.डी.एफ.।
6. इन्दिरा रसोई योजना।
7. प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण।

Scanned with CamScanner

8. अम्बेडकर भवनों के निर्माण एवं इन्हे उपयोगी बनाने के लिए पुस्तकालय एवं वाचनालयों का निर्माण जिनमें आवश्यकतानुसार फर्नीचर यथा कुसी, टेबल इत्यादि की व्यवस्था की जा सकेगी।
9. सौर/एल.ई.डी. लाईटों का उपयोग।
10. अग्निशमन सेवाएं।
11. लिंग संवेदीकरण –बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ।
12. मुकदमेबाजी रहित ग्राम/शहर/अपराध से मुक्त ग्राम।
13. युवा विकास के लिए क्रियाकलाप (जैसेः–खेल, खेल–कूद के प्रशिक्षण शिविर के आयोजन यथा शतरंज, बास्केटबॉल, कैरम बोर्ड, बैडमिंटन इत्यादि सम्मिलित होगें, कौशल, स्वच्छता एवं उनके व्यक्तित्व विकास हेतु कैम्पों का आयोजन जिनमें राष्ट्र निर्माण क्रियाकलाप सम्मिलित हो।)

टिप्पणीः– 1. षष्ठम राज्य वित्त आयोग, राजस्थान द्वारा प्रस्तुत अन्तरिम रिपोर्ट (2020–21 एवं 2021–22 के लिए) के अन्तर्गत की गई सिफारिशों के सारांश के बिन्दु संख्या 30(X) में की गई संस्तुति के अनुसार षष्ठम राज्य वित्त आयोग अन्तर्गत देय राशि का उपयोग किसी भी व्यक्ति, पदधारी या जन प्रतिनिधियों की वैयक्तिक आवश्कताओं/अपेक्षाओं पर राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से प्राधिकृत किये बिना खर्च नही की जाएगी।

2. आयोग की सिफारिशों के बिन्दु संख्या–27 के अनुसार षष्ठम राज्य वित्त आयोग अन्तर्गत देय राशि का उपयोग किसी भी विज्ञापन प्रदर्शन, वाहनों का क्रय, कर्मचारियों के वेतन और भत्तों पर खर्च नहीं किया जाएगा।

3. षष्ठम राज्य वित्त आयोग, राजस्थान द्वारा प्रस्तुत अन्तरिम रिपोर्ट (2020–21 एवं 2021–22 के लिए) के अन्तर्गत की गई सिफारिशों के सारांश के बिन्दु संख्या 30(XI) में की गई संस्तुति के अनुसार अंतरिम प्रतिवेदन में की गई सिफारिशें, आयोग के अंतिम प्रतिवेदन के प्रभावी होने तक प्रवृत्त रहेगी।

(स) निष्पादन के लिए प्रोत्साहन अनुदान के रूप में हस्तांतरित की जाने वाली 5 प्रतिशत राशि के उपयोग हेतु दिशा–निर्देश

षष्ठम राज्य वित्त आयोग, राजस्थान द्वारा प्रस्तुत अन्तरिम रिपोर्ट (2020–21 एवं 2021–22 के लिए) के अन्तर्गत की गई सिफारिशों पर राज्य सरकार द्वारा की गई कार्यवाही विवरण (ATR) के बिन्दु संख्या–3 (1) एवं सिफारिशों के सारांश के बिन्दु संख्या 30(iii) के अन्तर्गत 5 प्रतिशत राशि प्रोत्साहन अनुदान के रूप में पंचायती राज संस्थाओं को वितरित किये जाने की सिफारिश की गई है। जिसका उपयोग निम्न कार्यों पर किया जाएगाः–

1. पंचायती राज संस्थाओं की चारागाह भूमि पर फलदार एवं औषधिय पौधा–रोपण।
2. पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर सैनेटरी नेपकिन वेण्डिंग मशीन स्थापित की जाए, ताकि स्वच्छता सम्बन्धी जागरूकता की अभिवृद्धि हो सके।
3. ग्राम पंचायत स्तर पर हाट बाजार, मेले इत्यादि का आयोजन।

आयोग द्वारा प्रोत्साहन अनुदान के रूप में देय कुल 5 प्रतिशत राशि में से 3 प्रतिशत राशि का वितरण निम्नलिखित में से किसी भी एक कार्य को पूर्ण करने पर देय होगीः–

Scanned with CamScanner

1. **आय और व्यय के लेखों का समयबद्ध रखरखावः–** राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के अध्याय 11 के नियम 228 से 238 के अन्तर्गत पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष 2019–20 एवं 2020–21 के लिए पंचायती राज संस्थाओं द्वारा आय–व्यय के लेखों के समुचित संधारण के लिए दिया जावेगा। ग्राम पंचायतों द्वारा आय–व्यय के लेखों के संधारण के लिए संबंधित पंचायत समिति में पदस्थापित विकास अधिकारी एवं सहायक लेखाधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया जाना अनिवार्य होगा। ऐसे प्रमाण पत्र पर संबंधित जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी/ अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर होना आवश्यक होगा। पंचायत समितियों के आय–व्यय के लेखों के संधारण के संबंध में संबंधित जिला परिषद में पदस्थापित लेखाधिकारी/वरिष्ठ लेखाधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया जाना अनिवार्य होगा, जिस पर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर होना आवश्यक होगा। जिला परिषदों में आय–व्यय के लेखों के संधारण हेतु जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया जाना अनिवार्य होगा, जिस पर जिला प्रमुख के प्रतिहस्ताक्षर होना आवश्यक होगा।
2. **"आस्ति रजिस्टर"(Asset Register) सहित अभिलेखों का रखरखावः–** राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के अध्याय 9 के नियम 136 से 139 अन्तर्गत पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष 2019–20 एवं 2020–21 के लिए पंचायती राज संस्थाओं द्वारा आस्ति रजिस्टर एवं स्थावर सम्पत्तियों के लेखों का समुचित संधारण किया जा रहा है। ग्राम पंचायतों द्वारा आस्ति रजिस्टर एवं संबंधित लेखों के संधारण के लिए संबंधित पंचायत समिति में पदस्थापित विकास अधिकारी एवं सहायक लेखाधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया जाना अनिवार्य होगा। ऐसे प्रमाण पत्र पर संबंधित जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर होना आवश्यक होगा। पंचायत समितियों के आस्ति रजिस्टर एवं संबंधित लेखों के संधारण के संबंध में संबंधित जिला परिषद में पदस्थापित लेखाधिकारी/वरिष्ठ लेखाधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया जाना अनिवार्य होगा, जिस पर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर होना आवश्यक होगा। जिला परिषदों में आस्ति रजिस्टर एवं संबंधित लेखों के संधारण हेतु जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया जाना अनिवार्य होगा, जिस पर जिला प्रमुख के प्रतिहस्ताक्षर होना आवश्यक होगा।
3. **पूर्व वर्ष की तुलना में स्वयं के राजस्व (निजी आय) में वृद्धिः–** राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के अध्याय 7 व 8 के नियमों के अन्तर्गत पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष 2019–20 एवं 2020–21 के लिए पंचायती राज संस्थाओं द्वारा राजस्व (निजी आय) में न्यूनतम 10 प्रतिशत की वृद्धि होने पर दिया जावेगा। ग्राम पंचायतों में निजी आय में वृद्धि के लिए संबंधित पंचायत समिति में पदस्थापित विकास अधिकारी एवं सहायक लेखाधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया जाना अनिवार्य होगा। ऐसे प्रमाण पत्र पर संबंधित जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर होना आवश्यक होगा। पंचायत समितियों में निजी आय में वृद्धि के लिए संबंधित जिला परिषद में पदस्थापित लेखाधिकारी/वरिष्ठ लेखाधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया जाना अनिवार्य

Scanned with CamScanner

होगा, जिस पर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर होना आवश्यक होगा। जिला परिषद की निजी आय में वृद्धि हेतु जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया जाना अनिवार्य होगा, जिस पर जिला प्रमुख के प्रतिहस्ताक्षर होना आवश्यक होगा।

आयोग द्वारा प्रोत्साहन अनुदान के रूप में देय कुल 5 प्रतिशत राशि में से शेष 2 प्रतिशत राशि का वितरण निम्नलिखित में से किसी भी एक कार्य को पूर्ण करने पर देय होगी:–

1. **स्वच्छ जल अथवा स्वच्छता :– पेयजल आपूर्ति का संचालन एवं रखरखाव।**
2. **स्वच्छता, ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन के उद्देश्य से बनाई गई सभी सामुदायिक परिसंपत्तियों का संचालन और रखरखाव ।**
3. **कोविड–19 टीकाकरण के लिए जागरूकता और सूचना, शिक्षा एवं संचार गतिविधियॉ (IEC) या 90 प्रतिशत टीकाकरण लक्ष्य प्राप्त करना ।**

क्र.सं.	दावे वाले वित्तीय वर्ष में मूल्यांकन (Criteria (Year to be taken as Financial Year))	मूल्यांकन
i.	कार्य निष्पादन दावा करने वाले पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष 2019–20 एवं 2020–21 में पंचायती राज संस्थाओं में पेयजल आपूर्ति का संचालन एवं रखरखाव। (75% या उससे अधिक)	
	हां (YES)	पात्र
	नही (NO)	अपात्र
ii.	कार्य निष्पादन दावा करने वाले पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष 2019–20 एवं 2020–21 में पंचायती राज संस्थाओं के सार्वजनिक शौचालयों, मूत्रालयों का निर्माण/रख–रखाव की स्थिति, जो वर्तमान में उपयोगरत शौचालय/मूत्रालय टंकी से सुनियोजित रूप से जुड़े हुए हो की स्थिति (75% या उससे अधिक)	
	हां (YES)	पात्र
	नहीं (NO)	अपात्र
iii.	कार्य निष्पादन अनुदान दावा करने से वाले पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष 2020–21 में पंचायती राज संस्थाओं में कोविड–19 टीकाकरण के लिए जागरूकता और सूचना, शिक्षा एवं संचार गतिविधियॉ (IEC) या 90 प्रतिशत टीकाकरण लक्ष्य प्राप्त करना	
	हां (YES)	पात्र
	नही (NO)	अपात्र

पंचायती राज संस्थाओं को 5 प्रतिशत की प्रोत्साहन राशि उक्त कार्यों में से किसी भी **एक–एक कार्य** को पूर्ण करने का प्रमाण पत्र (संलग्न निर्धारित प्रपत्र **परिशिष्ट–3 एवं 4**) दिनांक 31 जनवरी, 2022 तक विभाग मुख्यालय को प्राप्त होने पर ही देय होगी। निष्पादन के लिए प्रोत्साहन अनुदान के रूप में हस्तांतरित की जाने वाली 5 प्रतिशत राशि हेतु वांछित प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं होने की स्थिति में प्रोत्साहन राशि हस्तांतरित नहीं की जावेगी, जिसके लिए संबंधित पंचायती राज संस्थाऐं स्वयं जिम्मेदार होगी।

Scanned with CamScanner

कार्यों की स्वीकृति एवं सम्पादन संबंधी व्यवस्था :–योजनांतर्गत कार्यो का संपादन विभाग में वर्तमान में प्रचलित ग्रामीण कार्य निर्देशिका में अंकित प्रावधानों एवं प्रकिया के अनुरूप तथा आर.टी.पी.पी.एक्ट–2012 एवं आर.टी.पी.पी. नियम–2013 के प्रावधानुसार ही किया जायेगा।

राशि के समायोजन के सम्बन्ध में:–

1. पंचायती राज संस्थाओं (जिला परिषद, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत) को षष्ठम राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत प्राप्त होने वाली राशि के हस्तांतरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र सामान्य वित्त एवं लेखा नियमों के भाग–1 के अध्याय–17 के नियम 284 से 286 के अन्तर्गत दिये गये निर्देशानुसार संलग्न निर्धारित प्रपत्र (परिशिष्ट–2) के अनुरूप तैयार कर प्रेषित किया जावेगा।
2. षष्ठम राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं को प्राप्त होने वाली अनुदान राशि का उपयोग इन दिशा–निर्देशों के अनुसार सुनिश्चित किया जावेगा। ग्राम पंचायत द्वारा अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र यथाशीघ्र संबंधित पंचायत समिति में प्रेषित किया जावेगा साथ ही पंचायत समिति द्वारा अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र संबंधित जिला परिषदों में प्रेषित किया जाएगा। जिला परिषदों द्वारा अधीनस्थ पंचायती राज संस्थाओं के समस्त उपयोगिता प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रपत्र (परिशिष्ट–2) में संकलित कर अधीक्षण अभियंता(प्रोजेक्ट), पंचायती राज मुख्यालय को हार्डमय सॉफ्ट कॉपी विभागीय ई–मेल आई.डी. rajpr.sep@rajasthan.gov.in पर प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करेंगे।
3. ग्राम पंचायतों द्वारा उपयोग की जाने वाली अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र तथा कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र ग्राम पंचायतों से प्राप्त करने और जिला परिषद को प्रस्तुत करने हेतु संयुक्त रूप से विकास अधिकारी, सहायक लेखाधिकारी–प्रथम/द्वितीय एवं सहायक अभियंता/कनिष्ठ अभियंता संबंधित पंचायत समिति उत्तरदायी होंगे।
4. ग्राम पंचायतों के उपयोगिता प्रमाण–पत्रों का समायोजन संबंधित पंचायत समिति स्तर पर किया जाएगा, साथ ही कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने हेतु संयुक्त रूप से विकास अधिकारी, सहायक लेखाधिकारी–प्रथम/द्वितीय एवं सहायक अभियंता/कनिष्ठ अभियंता अधिकृत होंगे।
5. पंचायत समिति स्तर एवं जिला परिषद स्तर के उपयोगिता प्रमाण–पत्रों का समायोजन तथा कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने हेतु संयुक्त रूप से मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी तथा अधिशाषी अभियंता/ सहायक अभियंता अधिकृत होंगे।
6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद का यह दायित्व होगा कि जिला परिषद के क्षेत्राधिकार में आने वाली पंचायत समितियों से प्राप्त होने वाले उपयोगिता प्रमाण पत्र तथा कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किये जाने के 07 दिवस के भीतर अधीक्षण अभियंता(प्रोजेक्ट), पंचायती राज विभाग मुख्यालय को हार्ड कॉपी मय सॉफ्ट कॉपी विभागीय ई–मेल आई.डी. rajpr.sep@rajasthan.gov.in पर अनिवार्य रूप से प्रेषित किये जाने होंगे।
7. षष्ठम राज्य वित्त आयोग अन्तर्गत पंचायती राज संस्थाओं प्रदत्त अनुदान राशि की मासिक वित्तीय प्रगति, भौतिक प्रगति एवं समग्र उपयोगिता संबंधी सूचनाऐं संलग्न निर्धारित प्रपत्र परिशिष्ट–1 के अनुसार प्रतिमाह 05 तारीख तक संयुक्त निदेशक (मॉनिटरिंग अनुभाग),

Scanned with CamScanner

पंचायती राज मुख्यालय को हार्ड कॉपी मय सॉफ्ट कॉपी विभागीय ई–मेल आई.डी. rajpr.jdm@rajasthan.gov.in पर प्रेषित करेंगे।

8. यह दिशा–निर्देश षष्ठम राज्य वित्त आयोग, राजस्थान द्वारा प्रस्तुत अन्तरिम रिपोर्ट (2020–21 एवं 2021–22 के लिए) के अन्तर्गत की गई सिफारिशों पर राज्य सरकार द्वारा की गई कार्यवाही विवरण (ATR) के अनुसरण में जारी किये जा रहे है।
9. ये दिशा निर्देश वित्त विभाग की आई डी संख्या 102105163 दिनांक 25.01.2022 द्वारा प्रदत्त सहमति के आधार पर जारी किये जाते हैं।उपरोक्त दिशा–निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करने का दायित्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी/ अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद का होगा।

संलग्नः– मासिक प्रगति प्रारूप।

(पी.सी. किशन)
शासन सचिव

क्रमांक एफ 165(07)पंरावि/एसएफसी/षष्ठम/दिशा–निर्देश/2021–22 जयपुर, दिनांकः–

1 निजी सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3 सदस्य सचिव, षष्ठम राज्य वित्त आयोग, वित्त भवन, बी–ब्लॉक प्रथम तल, जनपथ, जयपुर।
4 निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5 निजी सचिव, निदेशक, पंचायती राज विभाग।
6 अधिशाषी अभियंता(प्रोजेक्ट), पंचायती राज विभाग।
7 निजी सहायक, महालेखाकार, राज. जयपुर।
8 संयुक्त सचिव वित्त (आर्थिक मामलात) विभाग।
9 संयुक्त सचिव वित्त (व्यय–5) विभाग।
10 निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, वित्त भवन ज्योति नगर, जयपुर।
11 समस्त लेखाधिकारी, जिला परिषद।
12 प्रोग्रामर, पंचायती राज विभाग विभागीय वेब साईट पर अपलोड करने हेतु।
13 रक्षित पत्रावली।

(एच.आर.पवार)
वित्तीय सलाहकार

Scanned with CamScanner

परिशिष्ट–1

जिला परिषद .....
माह.....

राज्य वित्त आयोग–षष्ठम की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति

(राशि लाख रू. में)

क्र. सं.	पंचायत समिति का नाम	पंचायती राज संस्था	01.04.2021 से अब तक की प्रगति															
			वित्तीय प्रगति			यू.सी.		भौतिक प्रगति				कुल में से अनुसूचित जाति के लिए				कुल में से अनुसूचित जन जाति के लिए			
			कुल प्राप्त राशि	कुल व्यय	अवशेष राशि	प्रेषित कुल यू. सी.	बकाया यू.सी.	स्वीकृत कुल कार्य	पूर्ण	अपूर्ण	शुरू नहीं किये गये कार्य	कुल प्राप्त राशि	कुल व्यय राशि	स्वीकृत कुल कार्य	पूर्ण	कुल प्राप्त राशि	कुल व्यय राशि	स्वीकृत कुल कार्य	पूर्ण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद .....

Scanned with CamScanner

परिशिष्ट–2

कार्यालय जिला परिषद/पंचायत समिति/ग्राम पंचायत.....के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र..... वित्तीय वर्ष .....बजट शीर्ष.....

आदेश/ स्वीकृति का विवरण ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग/वित्त विभाग की संख्या एवं तारीख	
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के आदेश संख्या एवं दिनांक	वित्त विभाग द्वारा स्वीकृत सहायता अनुदान की राशि उनकी स्वीकृति के संदर्भ सहित

3. प्रमाणित किया जाता है कि हाशिये में दिये गये आदेश संख्या के जरिये जिला परिषद/पंचायत समिति/ग्राम पंचायत के पक्ष में बजट शीर्ष..... के अधीन वित्तीय वर्ष 2021–22 से 2025–26 तक स्वीकृत की गई सहायता अनुदान की राशि रू.....तथा पूर्व वित्तीय वर्ष के अव्ययित शेष की राशि .....रू. में से रू.....की राशि का उपयोग उस प्रयोजन के लिए कर लिया गया है। जिसके लिए वह प्रदान की गई थी तथा यह कि जिन शर्तों पर यह स्वीकार किया गया था वे पूरी कर ली गई है एवं यह कि रू.....की अव्ययित अनुदान राशि को अगले वित्तीय वर्ष .....में इसी प्रयोजन के लिए उपयोग में लिया जाएगा या विभाग के निर्देश/अनुदेशों के अनुसार 30 जून..... तक अनुपयोजित अनुदान की राशि रू..... .....को बजट शीर्ष..... के अधीन ट्रेजरी चालान संख्या ..... दिनांक.....द्वारा समर्पित कर दिया गया है/जमा करा दिया गया है।

विकास अधिकारी **सहायक लेखाधिकारी–प्रथम/द्वितीय वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी** **सहायक अभियंता/कनिष्ठ अभियंता अधिशाषी अभियंता/सहायक अभियंता**

4. प्रमाणित किया जाता है कि मैंने इससे अपना समाधान कर लिया है कि जिन शर्तों पर सहायता अनुदान स्वीकृत किया गया था। उन्हें विधिवत पूरा कर लिया गया है तथा अनुदान का उपयोग उस प्रयोजन के लिए कर लिया गया है। जिसके लिए उसे स्वीकार किया गया था।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
हस्ताक्षर प्रतिहस्ताक्षरकर्त्ता प्राधिकारी

Scanned with CamScanner

प्रपत्र–3

षष्ठम राज्य वित्त अयोग अन्तर्गत वित्तीय 2020–21 के लिए पात्र पंचायती राज संस्थाओं को प्रोत्साहन अनुदान स्वीकृत करने हेतु जिला परिषद का प्रमाण–पत्र।

कार्यालय, जिला परिषद,.....
क्रमांकः

दिनांकः

उपलब्ध रिकार्ड/संबंधित पंचायती राज संस्थाओं से प्राप्त प्रमाण–पत्रों के आधार पर प्रमाणित किया जाता है कि जिला परिषद.....के अधिनस्थ निम्नांकित पंचायत समितियों एवं उनके अधिनस्थ ग्राम पंचायतें षष्ठम राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए देय 5 प्रतिशत प्रोत्साहन अनुदान की राशि हेतु वांछित पात्रता की शर्ते पूर्ण करने के फलस्वरूप इन्हें प्रोत्साहन अनुदान स्वीकृत किये जाने की अनुशंषा की जाती है :–

क्र. सं.	पंचायत समिति का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	3 प्रतिशत प्रोत्साहन अनुदान पात्रता हेतु वांछित तीन शर्तो मे से पूर्ण की गई शर्त का विवरण	2 प्रतिशत प्रोत्साहन अनुदान पात्रता हेतु वांछित तीन शर्तो मे से पूर्ण की गई शर्त का विवरण
1.				
2.				
3.				

मुख्य/अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद.....

मुख्य/वरिष्ठ /लेखाधिकारी
जिला परिषद.....

नोटः– कृपया आपके अधिनस्थ सभी पंचायत समितियों एवं ग्राम पंचायतों का नाम सूची में अंकित करावें एवं जिस ग्राम पंचायत/पंचायत समिति ने पात्रता की शर्त पूर्ण नही की हो उसके समक्ष अपात्र अंकित करें।

Scanned with CamScanner

प्रपत्र–4

षष्ठम राज्य वित्त अयोग अन्तर्गत वित्तीय 2020–21 के लिए पात्र जिला परिषद को प्रोत्साहन अनुदान स्वीकृत करने हेतु जिला परिषद का प्रमाण–पत्र।

कार्यालय, जिला परिषद,.....

क्रमांकः दिनांकः

उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर प्रमाणित किया जाता है कि जिला परिषद ..... षष्ठम राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए देय 5 प्रतिशत प्रोत्साहन अनुदान की राशि हेतु वांछित पात्रता की शर्ते पूर्ण करती है।

मुख्य/अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद.....

मुख्य/वरिष्ठ/लेखाधिकारी
जिला परिषद.....

Scanned with CamScanner